

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ**

**पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या : 41 / 2023

दायर दिनांक : 14 / 08 / 2023

निर्णय दिनांक : 16 / 12 / 2024

**उनवान**

1. रोशनलाल पिता डालचंद रेगर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. गणेशलाल पिता डालचंद रेगर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. रमेशचंद्र पिता डालचंद रेगर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. गीतादेवी पुत्री डालचंद रेगर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. हेमराज पिता दयाराम रेगर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. जेराम पिता उकार भील निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. धापू पत्नि नारायण भील निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. प्रेमबाई पत्नि चुन्नीनाथ निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
5. पन्नलाल पिता सोजीराम रेगर निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956**

**: निर्णय :**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का रवीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम कांकरवा प0 ह0 कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के प्रार्थीगण के खातेदारी के हाल खाता संख्या 295 की आराजी न0 3818 रकबा 0.05 है0, आराजी न0 3819 रकबा 0.33 है0 आराजी न0 3820 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है0** भूमि में अभ्यपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर पीसी प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विवाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)  
सहायक कलेक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर, चित्तौड़गढ़

